

परिशिष्ट-एक

विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमोंक-2201 के प्रश्नांश (ग) से संबंधित जानकारी

क्र.	प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र क्र./दि.	वनमंडलाधिकारी कटनी का प्रेषित पत्र क्र./दि.	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही.
01	1351 / 21.12.2017	पत्र क्र./नि.स./मा.चि./1041 दि. 16.02.18	सरपंच ग्राम पंचायत नैगवां को कार्यालयीन पत्र क्र./नि.स./मा.चि./1041 दि. 16.02.18, पत्र क्र./मा.चि./265 दि. 11.01.18 एवं पत्र क्र./मा.चि./1039 दि. 16.02.18 के माध्यम से म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्र./एफ.एस./11/06/10-3 दिनांक 29.05.2009 के दिशा-निर्देश के पैरा (2) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के प्रावधान अनुसार पत्र में उल्लेखित प्रयोजनों हेतु वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में परिक्षेत्र अधिकारी रीठी एवं बहोरीबंद को प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, प्रस्ताव उनके स्तर से अप्राप्त है। उपरोक्त कार्यवाही की सूचना वनमंडल कार्यालय के पत्र पृ. क्र./मा.चि./266 दि. 11.01.18 एवं 1040 तथा 1042 दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से मा0 विधायक श्री कुंवर सौरभ सिंह जी विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद-94 को दी गई है।
02	1361 / 22.12.2017		
03	1414 / 30.12.2017	पत्र क्र./मा.चि./265 दि. 11.01.18 एवं पत्र क्र./मा.चि./1039 दिनांक 16.02.18	


श्री-1/8
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल


अनुभाग अधिकारी
शासन
मध्यप्रदेश (कक्ष 3)
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमंक-2201 के प्रश्नांश (घ) से संबंधित जानकारी

क्र.	प्रश्नकर्ता सदस्य एवं अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिक का नाम एवं पता	प्रश्नकर्ता सदस्य एवं अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिक का पत्र क्र./दि.	वनमंडलाधिकारी कटनी का प्रेषित पत्र क्र./दि.	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
01	मा0 विधायक श्री कुंवर सौरभ सिंह, विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद-94	पत्र क्र./1351 दि.21.12.2017	पत्र क्र./नि.स./मा. चि./265 दि.11.01.18 एवं पत्र क्र./1041 दि.16.02.18	सरपंच ग्राम पंचायत नैगवां को ग्राम नैगवां से हाथीभार मार्ग, रमपुरा से निपनिया एवं रमपुरा से कुम्हरवारा मार्ग, नैगवां से निपनिया मार्ग, सूखा से सिंहुडी मार्ग के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. /मा.चि./265 दि. 11.01.18 एवं 1039 एवं 1041 दि0 16.02.18 के माध्यम से म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्र./एफ.एस./11/06/10-3 दिनांक 29.05.2009 के दिशा-निर्देश के पैरा (2) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के प्रावधान अनुसार पत्र में उल्लेखित प्रयोजनों हेतु वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में परिक्षेत्र अधिकारी रीठी एवं बहोरीबंद को प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, प्रस्ताव उनके स्तर से अप्राप्त है। उपरोक्त कार्यवाही की सूचना वनमंडल कार्यालय के पत्र पृ. क्र./मा.चि./266 दिनांक 11.01.18 एवं 1040 तथा 1042 दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से मा0 विधायक श्री कुंवर सौरभ सिंह जी विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद-94 को दी गई है।
02		पत्र क्र./1361/ दि.22.12.2017		
03		पत्र क्र./1414/ दि.30.12.2017		
04		पत्र क्र./60/ दि.11.04.16	पत्र क्र./मा.चि./ 6217 दि. 12.09.16	सरपंच ग्राम पंचायत पोड़ी जनपद पंचायत बहोरीबंद को वनमंडल कार्यालय कटनी के पत्र क्र. /मा.चि./6217 दिनांक 12.09.16 से ग्राम गिपरिया नदी के पास से बचैया पहुंच मार्ग उन्नयन की अनुमति जारी की गई।
05	मा0 विधायक श्री मोती कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 91-बड़वारा	पत्र क्र./1399/ दि.01.06.2016	पत्र क्र./मा.चि./ 4169 दि0 13.06.16	ग्राम खैरानी पहुंच मार्ग (आम रास्ता) को वन विभाग द्वारा लगाई गई फेंसिंग हटाने और निर्माणधीन पुल तक पहुंच मार्ग बनवाने के संबंध में कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर को हस्तांतरित क्षेत्र के अंतर्गत होने के फलस्वरूप वनमंडल कार्यालय कटनी के पत्र क्र./मा.चि./4169 दि0 13.06.16 के माध्यम से मण्डल प्रबंधक, कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया था। अग्रिम कार्यवाही का संबंध कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर से है।

06	मा0 विधायक श्री मोती कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 91-बड़वारा	पत्रक्र./1502 दि.03.07.2016	पत्रक्र./मा.चि./6228 दि0 12.09.16	वनमंडल कार्यालय कटनी के पत्रक्रमांक/मा.चि./4814, दि0 12.07.16, 5459 दि0 05.08.16 एवं 6228 दि0 12.09.16 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी जिला कटनी को मा0 विधायक श्री मोती कश्यप के पत्र में उल्लेखित नेगई से कारोपानी व्हाया करौंदी मार्ग, खामरवानी से दैगवां (महगवां) मार्ग, खामरवानी से दादरसिंहुडी मार्ग, दांदरसिंहुडी से कोडो मार्ग, कोडो से अतरिया बस्ती प्र.म.ग्रा.स.यो. मार्ग, मझगवां, छीतापाल से दादरसिंहडी मार्ग, मझगवां से दैगवां (महगवां) मार्ग, तिलमन से करौंदी व्हाया करौंदा मार्ग, छीतापाल से सगौना पुराना प्रचलित मार्ग निर्माण के संबंध में वन विभाग द्वारा मार्ग के प्रकरणों में दी जाने वाली अनुमतियों की जानकारी उन्हे प्रेषित कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करतें हुए कि मार्गों का उन्नयन किया जाना हे या निर्माण से संबंधित प्रस्ताव चाहे गये है, जो कि आज दिनांक तक उनसे अपेक्षित है।
07	सरपंच ग्राम पंचायत पठरा, जनपद पंचायत कटनी जिला कटनी	पत्रक्र./114, 115 दि.27.02.2017	पत्रक्र./मा.चि./1371 दि0 04.03.17	सरपंच ग्राम पंचायत पठरा को भूमि उपलब्ध कराने एवं डैम (बांध) बनवाने के संबंध में कार्यालयीन पत्रक्र./मा.चि./1371 दि. 04.03.17 के माध्यम से म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्र/एफ.एस./11/06/10-3 दिनांक 29.05.2009 के दिशा-निर्देश के पैरा (2) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के प्रावधान अनुसार पत्र में उल्लेखित प्रयोजनों हेतु वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में परिक्षेत्र अधिकारी बड़वारा को प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, प्रस्ताव उनके स्तर से अप्राप्त है।
08	मा0 विधायक श्री कुंवर सौरभ सिंह, विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद-94	पत्रक्र./1468 दि0 18.10.2016	पत्रक्र./मा.चि./9002 दि0 21.10.16	इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय विधायक महोदय श्री कुंवर सौरभ सिंह विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद-94 को इस मार्ग की अनुमति के लिये लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अथवा म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को विधिवत् प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये लेख किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


 (सुनील अग्रवाल)
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश, भोपाल


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 मध्यप्रदेश (कक्ष 3)
 वन विभाग, भोपाल
 मंत्रालय, भोपाल